



HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर

दिनांक 03.11.2022

प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी।

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनांक 17/12/2005 को थाना मौदहा जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 980/05 धारा- 323,504,506 IPC व 3(1)10 sc/st एक्ट में नामजद अभियुक्त मान सिंह पुत्र गुलाब सिंह ठाकुर निवासी परछछ थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायाधीश द्वारा धारा 323 IPC में 02 वर्ष कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदंड, धारा 506 IPC में 03 वर्ष कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदंड, 3(1)10 sc/st act में 02 वर्ष कारावास व 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।